लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 61 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 30.04.2021
GCMS NO:- 2021/199

श्री संतोष कुमार जैन रिटायर्ड अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी निवासी बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 25.05.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 01.04.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 61 / 2021 / (25.05) / 407 दिनांक 21.05.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 25.05.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.05.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना [illegible] 05.[illegible] से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर [illegible] पर अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:15 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 25.05.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सुना गया।

अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि मेरे द्वारा आवेदन दिनांक 01.04.2021 से जिला कलक्टर कार्यालय में दिनांक 01.04.2017 से संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों से संबंधित आठ बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई जो लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 का अंकन कर सभी सूचनाऐं प्रश्नात्मक होना बताते हुए, सूचनाऐं दिए जाने से इन्कार कर दिया जबकि मेरे द्वारा ऐसी कोई सूचना की मांग नहीं की गई है जो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हो। अतः अपील स्वीकार फरमाकर वांछित सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/250 दिनांक 18.05.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री संतोष कुमार जैन, रिटायर्ड अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निवासी बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 06.04.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक है।
3. यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प–3(22)प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत यह व्यवस्था प्रदान की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:15 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2785 दिनांक 19.04.2021 से प्रार्थी को अवगत कराया गया । (पत्र की प्रति संलग्न है।)

5. यह कि प्रार्थी को आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/250 दिनांक 18.05.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 01.04.2021 से संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित आठ बिन्दुओं पर सूचनाऐं चाही गई है चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार **"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** जिससे अपीलार्थी को, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2785 दिनांक 19.04.2021 से सूचित किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 61 / 2021 (सू.अ.)
श्री संतोष कुमार जैन निवासी अलवर बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

किन्तु प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक / प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 4 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार **"किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक की यह लोक प्राधिकारी के संशोधनों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।"**

अतः अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 01.04.2021 में वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जो सूचनाऐं रिकार्ड में उपलब्ध है, उन दस्तावेजात की प्रति देवे। जो रिकार्ड में नहीं है उन्हें सृजन कर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में उक्तानुसार वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 61 / 2021(सू.अ.) / 420   दिनांकः– 25 / 05 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री संतोष कुमार जैन, रिटायर्ड अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निवासी बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:15 IST
Reason: SelfAttested